



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नागौर में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (बी.सी.एम.एच.ओ.) को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 29 जनवरी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सीकर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को नागौर में कार्यवाही करते हुये ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक-डीडवाना, नागौर डॉ राजाराम को 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादिया द्वारा शिकायत दी गई कि उसके फिक्सेशन एरियर भुगतान एवं कोरोना सर्वे ड्यूटी से हटाने की एवज में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक-डीडवाना, नागौर डॉ राजाराम द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक सुरेश चन्द एवं उनकी टीम द्वारा नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक-डीडवाना, नागौर डॉ राजाराम पुत्र श्री गोपीकिशन निवासी ग्राम निम्बी जोधा, त. लाडनू, जिला नागौर को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।